रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन कमांक : OA-IIu/BPL/173/2022
दावा पंजीकरण तिथि : 13-12-2022
आदेशार्थ रखने की तिथि : 18th March, 2025
आदेश तिथि : 20th March, 2025

1) जुमादीन मियां आत्मज स्व0 श्री हजरत मियां,
2) श्रीमती रूखसाना खातून पत्नी स्व0 श्री फिरोज अहमद,
3) चांदनी पुत्री स्व0 श्री फिरोज अहमद,
4) अमरीना खातून पुत्री स्व0 श्री फिरोज अहमद,
5) फातमा खातून पुत्री स्व0 श्री फिरोज अहमद,
(आवेदक कमांक–3 से लेकर 5 तक अवयस्क होने से नैसर्गिक संरक्षिका के तौर पर माता होने से आ0क0–1 द्वारा)
6) श्रीमती नाजमा खातून पत्नी श्री जुमादीन मियां,
निवासी–वार्ड नंबर 16, ग्राम छोटा परेउवा,
पोस्ट व थाना–रक्सौल, जिला–पूर्वी चंपारण (बिहार) पिनकोड–845303 .....आवेदक

विरूध्द

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
मध्य रेलवे, छशिमट, मुम्बई (महा0)
.....रेस्पाडेन्ट

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्री आनन्द किशोर ओझा, आवेदक–अधिवक्ता,
श्री सुरेश नारायण सक्सेना, रेस्पांडेन्ट–अधिवक्ता.

:: नि र्ण य ::

1. आवेदकों ने अपने पुत्र/पति/पिता मृतक *फिरोज अहमद पिता श्री जुमादीन मियां* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, *1987* के सेक्शन–*16* के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये *08 लाख* प्राप्त करने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया गया है.

2. आवेदन एवं शपथपत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि 35 वर्षीय मृतक मजदूरी करता था एवं वह अपने मित्र अरविन्द मांझी के साथ दिनांक 29-05-2022 को पैराम्बूर से दानापुर तक की यात्रा गाड़ी संख्या–12295 संघमित्रा एक्सप्रेस में अतिरिक्त किराया रसीद संख्या–716763 के आधार पर जनरल कोच में कर रहा था, कोच की अत्याधिक भीड़ होने से मजबूरीवश वह अन्य यात्रियों के साथ दरवाजे के पास खड़े होकर यात्रा करते समय अचानक ट्रेन का झटका एवं भीड़ का धक्का लगनेसे पाण्डुर्णा–तिगांव के बीच किलोमीटर्स कमांक 932/3-5 पर चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और आई हुई गंभीर चोटों से उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. यात्रियों के चिल्लाने से साथ में यात्रा करने वाले की नींद खुली और उसने मृतक साथी को खोजा, न दिखने पर उसने फोन से परिजनों को सूचना दी और मृतक के घर

निरंतर.....2/पर

जाकर संपूर्ण जानकारी देते हुए अतिरिक्त किराया रसीद सौंपी और बाद थाना पाण्ढुर्णा जाकर अपने कथन दर्ज कराकर यात्रा टिकट जब्त कराया. इधर घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना पाण्ढुर्णा द्वारा प्रकरण को मर्ग संख्या–71/2022 पर कायमी कर आगे की कार्यवाही संपूर्ण की. अतः पुत्र/पति/पिता की मृत्यु हो जाने से माता–पिता, पत्नी एवं संतान के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के लिए यह दावा आवेदन पेश किया गया है.

3. रेस्पांडेन्ट रेलवे ने वैधानिक तरीके से की गई अपनी जाँच रिपोर्ट, जिसे डीआरएम रिपोर्ट कहा गया है, में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर विवेचित यात्री ट्रेन के घटनास्थल से पास होने के बाद किसी के गिरने की आवाज आने पर कार्यरत् कीमेन/गेटमेन के घटनास्थल पर पहुँचने पर मृतक को घायल अवस्था में पाया था, किन्तु मृतक के पास अन्य वस्तुएँ एवं पुराने टिकट मिलने किन्तु सम्बन्धित यात्रा का टिकट नहीं मिलने एवं बाद में जब्त कराये गये रेलवे रसीद पर किसी का नाम न होने से घटना के समय उसे बोनाफाइड पैसेन्जर नहीं माना है तथा मृतक के सहयात्री के कथन के आधार पर घटना के समय मृतक और सहयात्री विवेचित यात्री ट्रेन में बिना टिकट पैरांबूर से दानापुर तक की यात्रा करते समय टीटीई द्वारा उन पर पेनॉल्टी चार्ज कर रेलवे रसीद बनाई थी, नागपुर जाने के बाद सहयात्री के सो जाने एवं बाद में पाण्ढुर्णा के बाद कोच में हल्ला होने से सहयात्री द्वारा उसकी खोजबीन करने के बाद जब यह निश्चित हो गया कि गिरा हुआ व्यक्ति उसका मित्र–फिरोज ही है तब उसने मृतक के पिता को घटना की सूचना दी, किन्तु इससे पहले ही पुलिस को घटना की सूचना प्राप्त हो गई थी, बाद उसने उक्त रेलवे रसीद मृतक के पिता को हेण्डओवर की. इस प्रकार मृतक के दरवाजे/पायदान पर बैठकर की जा रही लापरवाहीपूर्वक यात्रा ही जिम्मेदार होने से मुआवजा देने से इनकार करते हुए इसी आधार पर दावे को व्यय सहित खारिज करने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट के द्वारा की गई है.

4. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :–

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger at the time of incident ?*

2) *Whether the death of deceased was due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the Respondent railway is protected under the exemption clause to Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

4) *Whether the applicants are the sole dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependants ?*

5) *Relief and cost ?*

निरंतर.....3/पर

5. आवेदकों की ओर से क्रमांक–1 ने साक्षी के तौर पर स्वयं के शपथपत्र *(AW/1)* के साथ लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1 to A-21* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पाडेन्ट रेलवे की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश करते हुए उसकी ओर से जॉच अधिकारी–श्री सुरेन्द्रनाथ यादव, तत्कालीन एएसआई/आरपीएफ, आमला को शपथपत्र *(RW/1)* के साथ उपस्थित कराया गया है. इन दोनों ही साक्षियों का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

6. प्रकरण में ए–1 के तौर पर पेश की गई अतिरिक्त किराया रसीद काटने वाले डिप्टी सीटीआई/मद्रास–गुडुर स्क्वाड, मद्रास श्रीमती वाय.सुलोचना, निवासी–चैन्नै को तलब किये जाने पर यह साक्षी–CW/1 के तौर पर कोर्ट के सम्मुख उपस्थित हुआ.

7. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुन कर और अभिवचनों एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: **निष्कर्ष** ::

इश्यूज क्रमांक–1, 2 एवं 3 :

8. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन तीनों इश्यूज पर एकसाथ विचार किया जा रहा है. रेस्पांडेन्ट ने *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003* के अधीन प्रस्तुत की गई वैधानिक तरीके से की गई जॉच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, में घटना के समय मृतक के अपने सहयात्री के साथ विवेचित यात्री ट्रेन में पैराम्बूर से दानापुर तक की यात्रा करना, घटनास्थल पर उसके उक्त यात्री गाड़ी से गिरना, कार्यरत् स्टॉफ के तुरन्त स्पॉट पर पहुॅचना एवं पुलिस को सूचित करना आदि सभी तथ्यों को स्वीकारते हुए अपना प्रतिरोध केवल इस बात तक सीमित रखा है कि मृतक दरवाजे पर खड़े होकर अथवा बैठकर यात्रा कर रहा था अतः इस प्राकार की लापरवाहीपूर्वक यात्रा करने के कारण घटना के लिए मृतक स्वयं जिम्मेदार है एवं मृतक के पास तत्समय यात्रा टिकट नहीं पाया गया था एवं पेश किये गये अतिरिक्त किराया रसीद बाद में प्रस्तुत करने तथा उस पर मृतक का नाम नहीं होने से मृतक को बोनाफाइड पैसेन्जर नहीं माना जा सकता. अतः दावे से इनकार किया गया है.

9. आवेदकों की ओर साक्षी के तौर पर उपस्थित मृतक के पिता ने रेस्पांडेन्ट के आरोपों से इनकार करते हुए अपने प्रति–परीक्षण में यही कहा है कि टिकट सहयात्री के पास था एवं ए–1 पर प्रस्तुत अतिरिक्त किराया रसीद को उसने मृतक का ही होने का कहा है. दूसरी ओर रेस्पांडेन्ट के जांचकर्ता अधिकारी जो कि साक्षी–RW/1 के तौर पर कोर्ट के सम्मुख उपस्थित हुआ है जिसने अपने प्रति–परीक्षण में यही कहा है कि ए–1 दस्तावेज में यात्री के हस्ताक्षर होते है अथवा नहीं, उसे ज्ञात नहीं है. वहीं कोर्ट–साक्षी के तौर पर उपस्थित साक्षी ने अपने प्रति–परीक्षण में यह कहा है कि उक्त अतिरिक्त किराया रसीद (EFT) उसने नहीं काटी है.

निरंतर.....4/पर

10. इस प्रकार परिस्थितिजन्य हालातों तथा उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों एवं पक्षों के दोनों विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश किये गये तर्क–प्रतितर्को तथा कोर्ट–साक्षी की गवाही को देखने पर यह स्थापित है कि घटना के समय मृतक सहयात्री के साथ पैराम्बूर से दानापुर तक की यात्रा संघमित्रा एक्सप्रेस से कर रहा था एवं घटनास्थल पर वह चलती ट्रेन से गिरकर आई हुई चोटों से मृत हुआ है, चूँकि रेस्पांडेन्ट की ओर से ऐसी कोई विपरीत साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे उसका यह तर्क साबित हो सके कि मृतक लापरवाहीपूर्वक यात्रा कर रहा था. जहाँ तक मृतक के गेट पर बैठकर/खड़े होकर की जा रही लापरवाही का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में माननीय सुप्रीमकोर्ट ने *Jameela & Ors vs Union Of India* **प्रकरण** (CIVIL APPEAL NO. 1184 OF 2003) में दिनांक 27 अगस्त, 2010 को पारित न्यायसिध्दान्त में इस प्रकार की लापरवाही को आपराधिक नहीं माना है. अतः लापरवाही के सम्बन्ध में रेस्पांडेन्ट का तर्क खारिज किया जाता है.

11. जहॉ तक रेस्पांडेन्ट का यह विरोध कि ए–1 पर पेश की गई अतिरिक्त किराया रसीद पर यात्री का नाम होना आवश्यक है, किन्तु इसमें मृतक का नाम अंकित नहीं होने से वह बोनाफाइड पैसेन्जर नहीं था, के सम्बन्ध में आर–24/56 पर दक्षिण रेलवे द्वारा चल टिकट परीक्षक को जारी अतिरिक्त किराया रसीद नंबर–716760 to 788 को साक्षी–CW/1 को जारी होना इस रफ जर्नल बुक से साबित होता है, चूँकि अतिरिक्त किराया रसीद एक नम्बर्ड दस्तावेज है, अतः इसके सम्बन्ध में पूरा रेकार्ड रेस्पांडेन्ट के पास होता है, जिसे ही यह साबित करना है कि दस्तावेज ए/1 असली है अथवा नकली एवं यह मृतक अथवा सहयात्री के नाम से जारी न कर किसी अन्य के नाम से जारी की गई थी. अतः साक्षी–CW/1 का अपने प्रति–परीक्षण में यह कहना मान्य नहीं किया जा सकता कि यह रसीद उसने नहीं काटी थी, अतः रेस्पांडेन्ट की ओर से यह साबित नहीं किये जाने एवं मृतक के सहयात्री के साथ इतनी लंबी दूरी की यात्रा करने एवं घटनास्थल पर विवेचित यात्री ट्रेन से गिरने के तथ्य को देखते हुए मैं रेस्पांडेन्ट की दलील को विधिसम्मत न होने से अस्वीकार करते हुए यही अवधारित करता हूं कि मृतक के साथ घटित उक्त घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (c) (2)* के अन्तर्गत बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना में सम्मिलित होती है. इसलिए इसी *एक्ट के सेक्शन–124 A* के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु रेस्पांडेन्ट बंधनकारी है. तदनुसार इश्यूज कमांक–1, 2 एवं 3 साबित होने से आवेदकों के ही पक्ष में इनका विनिश्चय किया जाता है

इश्यूज कमांक–4 एवं 5 :

12. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मृतक पुत्र/पति/पिता के माता–पिता, पत्नी एवं संतान होने से अब आवेदक ही मृतक के आश्रित होने से उनके द्वारा यह दावा दाखिल किया है एवं अपनेआप को आश्रित साबित करने के लिए मृतक का आधारकार्ड, आवेदकों के आधारकार्ड, बैंक पासबुक व रॉशनकार्ड *(A-9 to 21)* आदि दस्तावेज पेश किये गये हैं. साक्षी के तौर पर उपस्थित होने पर मृतक के पिता ने अपने प्रति–परीक्षण में मृतक पुत्र के विवाहित होकर 4 पुत्रियाँ क्रमशः चांदनी, अमरीना, फातिमा एवं

निरंतर.....5/पर

खुशी होने का कहा है, जबकि इसी दिन के शपथपत्र में खुशी को छोड़कर अन्य का ही सशपथ कथन किया है, किन्तु इसे न तो आवेदकों में सम्मिलित किया गया है एवं न ही इसका आधार कार्ड/जन्म प्रमाणपत्र पेश किया गया है. अतः मृतक के पिता के कोर्ट के सम्मुख किये गये अपने प्रति–परीक्षण को ध्यान में रखते हुए अतः *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 B (i)(ii)* के अधीन आवेदकों के साथ–साथ मृतक की चौथी पुत्री–खुशी को भी मृतक के आश्रितों में सम्मिलित किया जाता है.

13. चूँकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* के नियम–3 की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

14. सुप्रीमकोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* के नियम–3 की अनुसूची के भाग एक के अधीन निर्धारित रूपये *8,00,000/-* की राशि एवं घटना दिनांक *30-05-2022* से भुगतान तिथि तक की अवधि पर *09%* प्रतिवर्ष साधारण ब्याज भी संदेय होगा. अतः निर्धारित आश्रित ब्याज सहित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार हैं. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

15. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये *8,00,000/-* में से आश्रित के तौर पर आवेदकों को निम्नानुसार भुगतान करेगा :–

Sl No	Name of the Applicants	Relationship with deceased	Age in years	Amount awarded (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1)	श्रीमती रूखसाना खातून	पत्नी	26	3,00,000/-
2)	चाँदनी	पुत्री	08	1,00,000/-
3)	अमरीना	पुत्री	07	1,00,000/-
4)	फातमा खातून	पुत्री	04	1,00,000/-
5)	खुशी	पुत्री	*	1,00,000/-
6)	जुमादीन मियां	पिता	48	50,000/-
7)	श्रीमती नाजमा खातून	माता	54	50,000/-

* *इस आश्रित का उल्लेख बाद में किये जाने से इसका आधारकार्ड प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रतिकर राशि के भुगतान के समय इस लाभार्थी की उम्र, पहचान का सत्यापन किया जाएगा.*

16. रेस्पांडेन्ट उक्त राशि पर घटना दिनांक *30-05-2022* से भुगतान तिथि तक *09%* प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भी संदेय आश्रितों को करेगा.

17. उक्त तालिका के लाभार्थी कमांक–1, 6 एवं 7 के कॉलम संख्या–5 की राशि में से 10-10% राशि तथा प्रतिकर राशि पर समस्त देय ब्याज को इन लाभार्थियों के खाते में सीधे स्थानांतरित की जाएगी जिसे वो तत्काल निकाल सकते है एवं कॉलम–5 में दर्शाई गई राशि में

निरंतर.....6/पर

से बची शेष 90% राशि इन के नाम से 05 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा जिस पर अर्जित ब्याज एफडी होल्डर मासिक अथवा अपनी सुविधानुसार आहरित कर सकेंगे. लाभार्थी कमांक–2, 3, 4 एवं 5 चूँकि अभी अवयस्क हैं, इसलिए ब्याज सहित संदेय इनकी प्रतिकर राशि को इनके वयस्क होने की अवधि तक फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा, जिस पर अर्जित ब्याज इनके पालन–पोषण हेतु नैसर्गिक संरक्षिका के तौर पर माता होने से लाभार्थी कमांक–1 मासिक अथवा अपनी सुविधा अवधि अनुसार आहरित कर सकेगी.

18. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगा. रेस्पांडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से *60* दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

19. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC/-III/2610, dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पांडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पांडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक *12%* वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा.

20. भारत सरकार ने 03 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खातें निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे,
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी,
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी,
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी.

21. आवेदकों/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदकों/लाभार्थी के मौजूद बचत खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा. बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत् बैंक आवेदकों/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा.

22. इन खातों से धन की निकासी केवल "निकासी फार्म" के द्वारा ही की जाएगी.

23. आवेदकों/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे.

24. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदकों/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे.

25. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No. 10064520760 IFSC Code : SBIN0005798 (State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में *RTGS* के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

शेष.....7/पर

26. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदकों/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन आवेदकों/लाभार्थी की पासबुक में करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधार कार्ड, पेनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदकों/लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

27. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदकों/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी.

28. लाभार्थी/आवेदकों को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु रेस्पांडेन्ट/लाभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर). बैंक आवेदकों/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा.

29. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा.

30. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा.

31. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

32. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है.

33. पक्ष अपना-अपना वादव्यय वहन करेंगे.

34. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी.

35. प्रकरण- फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

20/03/2025

(अंजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 20th March, 2025 को उदघोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

20/03/2025

(अंजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल